

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 121 / 2010  
संस्थान दिनांक 05.04.2010

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़  
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रू द्ध

नंदकिशोर पिता देवचंद काछी, आयु 45 वर्ष  
निवासी- ग्राम सेमल्दा डेब, तहसील अंजड़  
जिला- बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

---

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 28.04.2016 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 71 / 2010 अंतर्गत 456, 354, 323, 506 भा.द.सं. में दिनांक 05.04.2010 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 29.03.2010 को समय रात्रि लगभग 09:30 बजे, ग्राम सेमल्दा डेब में फरियादिया के आवासीय मकान में दरवाजे की साकल खोलकर प्रवेश कर रात्रों गृहभेदन कारित करने तथा फरियादिया के मकान में फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग करने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 456, 354 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में दिनांक 18.04.2016 को फरियादिया व आहत जितेन्द्र तथा अभियुक्त नंदकिशोर के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त को धारा 323, 506 भा.द.सं. के अपराधों से दोषमुक्त किया जा चुका है व तथा यह निर्णय फरियादिया के संबंध में अभियुक्त नंदकिशोर के विरुद्ध धारा 456, 354 भा.द.सं. के संबंध में किया जा रहा है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि अभियुक्त फरियादिया के पति का बड़ा भाई है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 29.03.2010 को फरियादिया का पति तलवाड़ा डेब काम से गया था। फरियादिया घर में खाना खाकर उसकी पुत्री पूजा के साथ सो रही थी तथा लाईट नहीं थी, घर के अंदर चायना बल्ब जल रहा था कि लगभग रात्रि 9:30 बजे दरवाजे की साकल खुलने की आवाज आई तो फरियादिया की नींद खुल गई, जब उसने देखा कि गाँव का अभियुक्त नंदकिशोर घर में घुस आया और आकर फरियादिया का सीधा हाथ पकड़कर पलंग से उठाकर जमीन पर लिटा दिया और कहने लगा कि आज तो उसके साथ खोटा काम करेगा और औरत बनायेगा, जैसे ही नंदकिशोर उसकी पेंट खोलने लगा तो फरियादिया चिल्लाई और उसका पति आ गया, जिसे देखकर अभियुक्त ने घर में पड़ी लकड़ी उठाकर मारी, जिससे बायें हाथ की अंगुली व नाक पर लगी। अभियुक्त जाते-जाते कहने लगा कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर देगा। पुलिस ने फरियादिया द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त नंदकिशोर के विरुद्ध थाने के अपराध क्रमांक 71/2010 अंतर्गत धारा 456, 354, 323, 506 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान फरियादिया की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। पुलिस ने फरियादिया एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त नंदकिशोर के विरुद्ध धारा 456, 354, 323, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 29.03.2010 को समय रात्रि लगभग 09:30 बजे, ग्राम सेमल्दा डेब में फरियादिया के आवासीय मकान में दरवाजे की साकल खोलकर प्रवेश कर रात्रों गृहभेदन कारित किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया के मकान में फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादिया (अ.सा.1), जितेन्द्र कुशवाह (अ.सा.2) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार  
प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने के कारण उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में फरियादिया अ.सा. 1 ने अपने कथन में बताया कि लगभग 5 वर्ष पूर्व उसका पति काम पर तलवाड़ा डेब गया था। घर पर वह तथा उसकी पुत्री पूजा एवं बाकी व्यक्ति थे। अभियुक्त ने उसे घर के बाहर बुलाया और उसके साथ विवाद किया था, जिससे उसे चोंट लगी थी। इस घटना की रिपोर्ट उसने थाना अंजड़ पर लिखाई थी जो प्रदर्शपी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 का बनाया था तथा उसका मेडिकल परीक्षण भी करवाया था। न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर फरियादिया ने स्वीकार किया कि घटना के समय वह तथा उसकी पुत्री खाना खाने के बाद घर में सो गई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त उसके घर का दरवाजा खोलकर घर के अंदर आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त ने उसे पलंग से उठाकर फेंक दिया था और कहा था कि उसके साथ खोटा काम करेगा। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट एवं प्रदर्शपी 3 के पुलिस कथन में उक्त बातें लिखाने से इंकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण वह उसके पक्ष में असत्य कथन कर रही है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका अभियुक्त से पहले से ही सम्पत्ति के संबंध में विवाद चल रहा है, इस कारण उसने अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई थी।

8. साक्षी जितेन्द्र कुशवाह असा 2 ने भी उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। इस साक्षी से भी न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना दिनांक को रात्रि 9:30 बजे जब वह घर पर वापस आया तो उसने अपनी पत्नी के चिल्लाने की आवास सुनी थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने देखा कि अभियुक्त घर के अंदर उसकी पत्नी के साथ छेड़छानी कर रहा है। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 4 के कथन में भी उक्त बातें बताने से इंकार किया है। साक्षी ने अभियुक्त से राजीनामा हो जाना स्वीकार किया है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने से वह असत्य कथन कर रहा है।

9. प्रकरण में राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है, ऐसी स्थिति में जबकि फरियादिया एवं उसके पति ने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है और उनके विरुद्ध कोई भी कथन न्यायालय में नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादिया के घर में प्रवेश कर गृहभेदन कारित किया तथा फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ बुरी नियत से पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 456, 354 के अंतर्गत अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होते हैं।

10. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त नंदकिशोर के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित दोनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए धारा 456, 354 भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11. प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस की लकड़ी अपील अवधि पश्चात् मूल्यहीन होने से नष्ट किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी